



पत्रांक: 890 / सा0प्र0 / सि0वि0वि0 / 2020

दिनांक: 27 / 04 / 2021

सेवा में,

प्राचार्य / प्रबन्धक

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर।

विषय— कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में जैसा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि अब तक 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का टीकाकरण हो रहा है, लेकिन अब दिनांक 01 मई, 2021 से 18 वर्ष की आयु से अधिक सभी का टीकाकरण होने जा रहा है। उक्त टीकाकरण हेतु सरकार द्वारा निर्मित कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप पर दिनांक 28 अप्रैल, 2021 से पंजीकरण प्रारम्भ किया जा रहा है।

अतः मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध राजकीय / अनुदानित / स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के प्राचार्य को आदेशित किया जाता है कि शासन से प्राप्त उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालयों के समस्त शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को अनिवार्य रूप से टीकाकरण करवाने हेतु पंजीकरण कराये तथा पंजीकरण से प्राप्त तिथि पर अनिवार्य रूप से टीकाकरण करवाये। अपने महाविद्यालय के छात्र / छात्राओं को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें तथा उनकी सहायता करें, एन0एस0एस0 / एन0सी0सी0 की इकाइयों के माध्यम से पंजीकरण एवं टीकाकरण का प्रचार / प्रसार भी अनिवार्य रूप से करें, आपके माध्यम से कितना दैनिक पंजीकरण एवं टीकाकरण करवाया गया उसकी दैनिक आख्या विश्वविद्यालय की ई-मेल आईडी0— covidreportsuk@gmail.com पर प्रेषित करें।

भवदीय

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 890 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2021

दिनांक 27 / 04 / 2021

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— निजी सचिव मा0 कुलपति जी को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- 2— वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर।
- 3— अधिष्ठाता / कुलानुशासक विश्वविद्यालय परिसर।
- 4— उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर।
- 4— निजी सचिव, कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर।
- 5— कोडिंग प्रभारी को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित कराये।
- 7— सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,